संख्याः–614/अड़सठ–3–2020–1472/2019

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 27 जुलाई, 2020

विषयः–मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में किचेन गॉर्डेन विकसित किए जाने हेतु अन्य योजनाओं से सहयोग प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत आच्छादित छात्र/छात्राओं को निर्धारित साप्ताहिक मेन्यू के अनुसार प्रति कार्यदिवस में पका–पकाया गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है। उक्त के दृष्टिगत मध्यान्ह भोजन हेतु हरी सब्जियॉ उपलब्ध कराने की दिशा में विद्यालय परिसर में किचेन गार्डेन को प्रोत्साहन दिया जाना एक कारगर प्रयास होगा।

2– उक्त हेतु पूर्व में शासनादेश संख्याः 1472/अड़सठ–3–2019 दिनांकः 06 नवम्बर, 2019 (संलग्नक–01) के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान किए गये हैं, जिसमें मॉडल स्टीमेट के साथ–साथ किचेन गार्डेन विकसित किए जाने की सम्पूर्ण कार्ययोजना जनपदों को उपलब्ध करायी गयी है। मध्यान्ह भोजन योजना की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2020–21 की बैठक में प्रदेश के कुल 30,000 विद्यालयों में स्कूल न्यूट्रिशन (किचेन) गार्डेन विकसित किये जाने एवं वार्षिक रखरखाव हेतु भारत सरकार द्वारा संस्तुति एवं रू0 5000/– प्रति विद्यालय की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। संबंधित धनराशि विद्यालय स्तर पर हस्तान्तरण किये जाने की प्रक्रिया में है। उक्तानुसार प्रत्येक जनपद के कुल 400 विद्यालयों में किचेन गार्डेन विकसित किये जा सकेंगें, जिनका चिन्हांकन जनपद स्तर पर किया जा रहा है।

3– उल्लेखनीय है कि आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के पत्रांकः मनरेगा/पत्रा0सं0–01/1116/2020 दिनांकः 23 जून, 2020 (संलग्नक–02) द्वारा मनरेगा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं अन्य योजनाओं के मध्य कन्वर्जेन्स के अन्तर्गत सामुदायिक एवं व्यक्तिगत लाभार्थी की भूमि पर बनाये जाने वाले न्यूट्री–गार्डेन में मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमन्यता प्रदान की गयी है। Nutri-Garden में मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य कार्यों में ऐसे स्थलों यथा– सरकारी स्कूलों, आवासीय स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायत की भूमि को प्राथमिकता प्रदान की गयी है।

4– उक्त के अतिरिक्त बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्याः 555/68–5–2020 दिनांकः 15 जून, 2020 (संलग्नक–03) द्वारा विद्यालय पर 14 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के साथ ही 03 अन्य सुविधाओं का सृजन मनरेगा से युगपत कराकर कराये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसमें परिषदीय विद्यालयों में चहारदीवारी एवं गेट का निर्माण, खेलकूद का मैदान तथा किचेन वाटिका की फेन्सिंग भी सम्मिलित है।

5– किचेन गार्डेन विकसित किए जाने हेतु चिन्हित 400 विद्यालयों में मनरेगा एवं मध्यान्ह भोजन योजना में प्राविधानित फण्ड का कन्वर्जेन्स कराते हुए किचेन गार्डेन विकसित कराने हेतु आपका

Scanned with CamScanner

बहुमूल्य नेतृत्व आवश्यक है। विद्यालय परिसर में किचेन गार्डेन विकसित किये जाने हेतु निम्नलिखित गतिविधियॉ निर्धारित समयावधि में करायी जानी होंगीः–

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से 400 विद्यालयों का चयन (पूर्व निर्देशानुसार)	– दि0: 30 जुलाई, 2020 तक
2.	किचेन गार्डेन विकसित किये जाने हेतु मनरेगा के जे0ई0 द्वारा टेक्निकल स्टीमेट तैयार कर सक्षम स्तर पर अनुमोदन कराना	– दि0: 05 अगस्त, 2020 तक
3.	टेक्निकल स्टीमेट के संबंध में कार्यदायी व्यक्तियों का उन्मुखीकरण	–दि0: 10 अगस्त, 2020 तक
4.	ग्राम सचिव को जिम्मेदारी प्रदान करना कि प्रधानाध्यापक से समन्वय स्थापित कर कार्य को पूर्ण करायें। टेक्निकल स्टीमेट के अनुसार स्थानीय स्तर पर समस्त कार्य यथा– निराई, गुड़ाई, बुआई/पौधे लगाना, सिंचाई आदि की व्यवस्था	–दि0: 25 अगस्त, 2020 तक
5.	नियमित अनुश्रवण तथा सक्सेज स्टोरीज का प्रेरणा पोर्टल पर अंकन	–कार्य पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक 15 दिवस की अवधि में (अध्यापक द्वारा)

6– उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम विकास विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग के मध्य अर्न्तविभागीय समन्वय स्थापित कराते हुए अपने नेतृत्व में विद्यालय परिसर में किचेन गार्डेन विकसित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उक्तवत्।

भवदीया

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः–614(1)/अड़सठ–3–2020–1472/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।

2– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि जनपद स्तर पर चिन्हित 400 विद्यालयों की सूची मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए समन्वय स्थापित कर विद्यालयों में किचेन गार्डेन विकसित कराना सुनिश्चित करें।

3– समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0 वी0 सिंह)
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner

(180) शासन-467 संलग्नक (1)
MDM

संख्या-1472 /अडसठ - 3-.2019

प्रेषक,

रेणका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 06 ~~अक्टूबर~~ NOV, 2019

विषय: मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में किचेन गॉर्डेन विकसित किए जाने के संबंध में दिशा- निर्देश।

महोदय,

अवगत कराया गया है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में किचेन गार्डेन विकसित किए जाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा की गयी नई पहल के अन्तर्गत राजकीय (जिनमें कक्षा 01 से 05 की कक्षायें संचालित हों) व परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रांगण में 'स्कूल न्यूट्रिशन गार्डेन' अर्थात् 'किचेन गार्डन' को प्रोत्साहित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा किचेन गार्डेन की स्थापना एवं वार्षिक रख-रखाव हेतु रू0 5000/- प्रति विद्यालय की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

"मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत निर्धारित साप्ताहिक मेनू के अनुसार प्रति कार्य दिवस में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को पका-पकाया गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है। प्रायः निरीक्षण के समय यह देखा गया है कि विद्यालय के प्रांगण में अतिरिक्त भूमि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। उक्त के दृष्टिगत विद्यालयों में किचेन गार्डेन को प्रोत्साहन दिया जाना विद्यालय परिसर में मध्यान्ह भोजन हेतु हरी सब्जियां उपलब्ध कराने की दिशा में एक कारगर प्रयास हो सकता है। विद्यालय में किचेन गार्डेन को प्रोत्साहन दिये जाने के लिये विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के माध्यम से विद्यालय के अतिरिक्त भूमि पर क्यारी बनाकर हरी सब्जियां व फल/फूल को बोने/उगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना एक सफल प्रयोग होगा।

> **किचेन गार्डन बनाने के उद्देश्यः-**

- बच्चों को मौसमी सब्जियों की उपयोगिता व उसमें पाये जाने वाले पोषण तत्वों के बारे में जानकारी बढ़ाना, जिससे वह यह संदेश अपने परिवार के सदस्यों तक भी पहुंचा सकें।
- मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत बनाये जा रहे भोजन में किचेन गार्डेन में उगायी गई सब्जियों को मिलाते हुये उसे और अधिक पोषक बनाना।
- छात्रों में मिल-जुल कर कार्य करने की भावना विकसित करना तथा मनोरंजन एवं व्यायाम के साथ-साथ स्वयं उगाये गये पौधों के प्रति स्वामित्व/जिम्मेदारी की भावना भी विकसित किया जाना।

अतः भारत सरकार के निर्देशानुसार विद्यालयों में किचेन गार्डेन की स्थापना एवं वार्षिक रख-रखाव की कार्ययोजना निम्नवत् हैः-

> **जमीन/स्थान का चिन्ह्नीकरण**

- प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किचेन गार्डेन विकसित किए जाने हेतु विद्यालय में उपलब्ध जमीन का चिन्ह्नीकरण कराया जायेगा। यदि जमीन की पैमाइश करानी है तो राजस्व विभाग अथवा स्थानीय लेखपाल से कराया जायेगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में उपयुक्त जमीन की उपलब्धता होती है, किन्तु शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में जमीन न होने की दशा में छतों/अन्य स्थान पर गमलों, मटके, बोरे, जूट के थैलों आदि में पौधे उगाने की व्यवस्था की जायेगी।

FC MDM

Scanned by CamScanner

- चिन्हित स्थान यथासम्भव खुला व पर्याप्त सूर्य की रोशनी की उपलब्धता वाला होना चाहिए। पौधों को कम से कम 05 घंटे धूप मिलनी चाहिए।
- चिन्हित स्थान बाउण्ड्रीवाल अथवा बाड़ (फैन्सिंग) आदि से सुरक्षित होना चाहिए।
- स्थान विद्यालय के प्रांगण अथवा निकटवर्ती होना चाहिए, जिससे अध्यापक/छात्र सुगमता से वहां कार्य कर सकें तथा पठन-पाठन कार्य में व्यवधान न हो।

➢ **किचेन गार्डेन की स्थापना व रख-रखाव हेतु गतिविधियां**

- प्रधानाध्यापक के द्वारा विद्यालय के परिसर में पोषण वाटिका के लिए स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्रथम बार पोषण वाटिका बनाने में ग्राम्य विकास विभाग/पंचायती राज विभाग तथा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा।
- उद्यान/वन विभाग से पोषण वाटिका में लगाने के लिए बीज व पौधों को आवश्यकतानुसार सशुल्क प्राप्त किया जा सकेगा।
- किचेन गार्डेन को सफलतापूर्वक विकसित किये जाने एवं सुरक्षित रख-रखाव हेतु समुदाय/मां समूह/अभिभावकों का सहयोग लिया जाना होगा।
- छात्रों के विभिन्न समूह तैयार कर प्रत्येक समूह द्वारा कतिपय पौधे/गमले आदि को अंगीकृत किया जायेगा तथा उन पौधों एवं गमलों की सम्पूर्ण जिम्मेदारी छात्र समूह द्वारा ली जायेगी।
- अंगीकृत पौधों के पास छात्रों के नाम का बोर्ड भी लगाया जाए, जिससे उन्हें अपने हाथ से लगाये गये पौधों के प्रति अपनत्व का बोध हो।
- छात्र समूहों द्वारा अंगीकृत पौधों की गुणवत्ता के सापेक्ष छात्रों का उत्साहवर्द्धन किया जायेगा।
- छात्रों को प्रेरित किये जाने हेतु विद्यालय में होने वाली प्रार्थना सभा में किचेन गार्डेन विकसित किये जाने के संबंध में चर्चा/गोष्ठी, गतिविधियां आयोजित की जायेंगी, जिसमें साग-सब्जी/फल की विशेषता के बारे में बताकर उनके ज्ञान में वृद्धि की जायेगी।
- किचेन गार्डेन की स्थापना व रख-रखाव में छात्रों के सक्रिय योगदान/श्रमदान से न सिर्फ छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित होगी, अपितु उनके क्षमता में भी वृद्धि होगी।
- मौसम के अनुरूप उगाई गई सब्जियों की पैदावार के दृष्टिगत विभिन्न दिवस यथा- गोभी दिवस, टमाटर दिवस, बैंगन दिवस इत्यादि के नाम से मनाया जा सकता है।

➢ **मॉडल स्टीमेट (वार्षिक आगणन)**

- किचेन गार्डेन हेतु प्रति विद्यालय रू0 5000/- की वार्षिक धनराशि का निर्धारण किया गया है, जिससे किचेन गार्डेन की स्थापना तथा वार्षिक रख-रखाव की कार्यवाही की जानी होगी।
- उक्त धनराशि का लेखा विवरण विद्यालय स्तर पर व्यय पंजिका में व्यवस्थित किया जायेगा।
- उक्त धनराशि के अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में किचेन गार्डेन की स्थापना तथा वार्षिक रख-रखाव हेतु पृथक-पृथक मॉडल स्टीमेट तैयार किये गये हैं। यह मॉडल स्टीमेट तैयार किये जाने हेतु दिनांकः 09 अगस्त, 2019 को केन्द्रीय उपोषण एवं बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ में कार्यशाला आयोजित की गयी, जिसमें निकटवर्ती विद्यालयों के कतिपय छात्र, रसोइया, प्रधानाध्यापक, स्कीम आफीसर्स आदि द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं किचेन गार्डेन के संबंध में अपना मंतव्य तथा कठिनाइयों के संबंध में विचार -विमर्श किया गया।

2- उक्त संस्थान द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में किचेन गार्डेन विकसित किये जाने हेतु तैयार किये गये पृथक-पृथक मॉडल स्टीमेट निम्नवत् हैः-

1. पर्याप्त स्थान की उपलब्धता हेतु किचेन गार्डेन का मॉडल स्टीमेट (20 मी × 10 मी0)

क्र० सं०.	व्यय विवरण	मात्रा	दर	कुल व्यय
1	स्थाई व्यय			
1.1	खाई (1/2 मी० चौड़ी X 01 मी0 गहरी)	60 मी०	10	600
1.2	बाड़ (करौंदा)	60 पौधे	10	600

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

1.3	बाड़ लगाने का खर्च (गड्ढा खोदना, भरना व पेड लगाना)	60	10	600
1.4	भूमि की तैयारी (जुताई व समतलीकरण)			500
1.5	आवश्यक उपकरण (फवडा , खुरपी, कुदाल, हजारा, वाल्टी)			1000
1.6	बगीचे का रेखांकन	01 आदमी	250	250
1.7	फल वाले पौधे	10	50	500
	योग			**4050**
2	अस्थाई व्यय			
2.1	सब्जियों वाले पौधे/ बीज (1000 पौधे प्रति सीजन)	-	3 सीजन	3000
2.2	खाद, कीट व फफूंद दवाएं	-	प्रति वर्ष	1000
	योग			**4000**
	कुल योग			**8050**

नोटः उक्त व्यय का वहन निर्धारित बजट रू0 5000/- की धनराशि के अतिरिक्त मनरेगा/ग्राम निधि/14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त फल/सब्जियों के बीज/पौधे उद्यान विभाग/वन विभाग/खाद्य प्रस्संकरण विभाग/कृषि विज्ञान केन्द्र आदि से प्राप्त किये जा सकते हैं।

2. शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त जमीन की उपलब्धता न होने की स्थिति में किचेन गार्डेन का माडल स्टीमेट (10मी × 10 मी0)

क्र० सं०.	व्यय विवरण	मात्रा	दर	कुल व्यय
1	ग्रो बैग्स (सब्जियों हेतु) (01 घनफीट)	150	10	1500
2	ग्रो बैग्स (फल पौधो हेतु 02 घनफीट)	10	30	300
3	मिट्टी मिक्चर (65 घनफीट मिट्टी +60 घनफीट बालू +75 घनफीट गोबर की खाद)	(200 घनफीट)	20	4000
4	ग्रो बैग्स की भराई	160	2/बैग्स	320
5	कीट नाशक व फफूंद नाशक	-	-	500
6	आवश्यक उपकरण (खुरपी, हजारा, वाल्टी, मग)	-	-	1000
7	उर्वरक	-	-	500
8	सब्जियों वाले पौधे/बीज (500 पौधे प्रति सीजन)	-	03 सीजन	1500
9	फल वाले पौधे	10	50	500
	कुल योग			**10120**

नोटः उक्त व्यय का वहन निर्धारित बजट रू0 5000/- की धनराशि के अतिरिक्त वार्ड निधि/14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत किया जा सकता है तथा फल/सब्जियों के बीज/पौधे उद्यान विभाग/वन विभाग/खाद्य प्रस्संकरण विभाग/कृषि विज्ञान केन्द्र आदि से प्राप्त किये जा सकते हैं।

➢ **अन्य विभागों से कन्वर्जन्स**

- योजनान्तर्गत निर्धारित धनराशि रू0 5000/- के अतिरिक्त किचेन गार्डेन की स्थापना एवं रख-रखाव हेतु आवश्यक सामग्री का वित्तपोषण यथा- ग्राम निधि से बीज/पौधों का भुगतान, वाटिका तैयार करके ससमय

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

आवश्यक मजदूरी का भुगतान आदि ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित मनरेगा योजना/ग्राम निधि/14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग द्वारा नियमानुसार किया जा सकता है।

- किचेन गार्डेन विकसित किए जाने हेतु अकुशल श्रमिक की व्यवस्था मनरेगा योजना से करायी जा सकती है। इस हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत डेवलेपमेन्ट प्लान (GPDP) में किचेन गार्डेन विकसित किये जाने का कार्य को सम्मिलित किया जाये।
- राज्य सरकार की उद्यानीकरण/वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत भी किचेन गार्डेन को विकसित कराये जाने की व्यवस्था की जा सकती है।

➢ **फलों/सब्जियों का चयन**

- सब्जियों व फलों का चयन जलवायु परिस्थितयों तथा छात्रों की पसंद के अनुसार किया जाये।
- मेड़ों का उपयोग जड़ वाली फसल के लिए किया जाये।
- रास्ते के किनारे पत्ती वाली सब्जियों के लिए किया जाये।
- वाटिका के अंत में दो खाद के गड्ढों का निर्माण कर विद्यालय का जैविक कचरा खाद के लिए उपयोग किया जाये।
- प्रदेश की जलवायु परिस्थिति के अनुसार 03 सीजन में उगाई जाने वाली सब्जियों का विवरण निम्नवत् हैः-

जायद वाली फसल	खरीफ वाली फसल	रबी वाली फसल
भिन्डी	चौलाई	टमाटर
पालक	भिन्डी	मटर
लोबिया	बैंगन	मिर्च
लौकी	लोबिया	पत्ता गोभी
करेला	करेला	फूल गोभी
खीरा	तुरई	पालक, सरसों, मेथी, सोया, धनिया, बथुआ
कददू	अरबी	शिमला मिर्च
तरबूज	कददू	बैंगन
खरबूजा	लौकी	लैत्तुस
बैंगन	खरीफ प्याज	ब्रोकोली
चुकंदर	सेम	प्याज, लहसुन
शलजम	-	चुकंदर
गाजर, मूली	-	शलजम, गाजर, मूली

➢ **नोडल अधिकारी**

- किचेन गार्डेन को विकसित कराने एवं वार्षिक रख-रखाव हेतु जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे, जो आवश्यकतानुसार ग्राम्य विकास विभाग/पंचायती राज विभाग/उद्यान विभाग/कृषि विज्ञान केन्द्र/वन विभाग/बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से समन्वय स्थापित कर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।

➢ **जल की उपलब्धता**

- किचेन गार्डेन के अन्तर्गत रोपित पौधों की नियमित सिंचाई स्थानीय फण्ड यथा- मनरेगा योजना/ग्राम निधि/14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग से नियमानुसार करायी जा सकेगी।
- विद्यालय के छात्र समूहों, रसोइयों, स्थानीय समुदाय आदि को पेड़ों को नियमित रूप से जल दिये जाने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

➢ **पौधों की सुरक्षा**

- पौधों की सुरक्षा हेतु विद्यालय परिसर की बाउण्ड्री वाल एवं गेट की व्यवस्था संचालित आपरेशन कायाकल्प अभियान के अन्तर्गत की जा सकती है।
- पौधों की अतिरिक्त सुरक्षा हेतु फैन्सिंग, बायोफैन्सिंग आदि की व्यवस्था भी की जा सकती है, जिसका वित्त पोषण निर्धारित धनराशि के अतिरिक्त मनरेगा योजना/ग्राम निधि/14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग से भी किया जा सकता है।

➢ **अनुश्रवण एवं प्रगति विवरण**

- किचेन गार्डेन स्थापित किये जाने की प्रगति का विवरण मासिक आधार पर मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका प्रारूप पृथक से जनपदों को प्रेषित किया जायेगा।
- मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत अन्य मदों की भांति किचेन गार्डेन का अनुश्रवण भी राज्य/जनपद/विकास खण्ड स्तर पर टास्क फोर्स के माध्यम से किया जायेगा।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-1472(1)/अडसठ -3-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
2- निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
3- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0।
4- निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0।
5- निदेशक, राज्य उपोष्ण एवं बागवानी संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ।
6- निदेशक, बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0।
9- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
10- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

संलग्नक – 02

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उ0प्र0 ।

पत्रांकः मनरेगा/पत्रा0सं0–01/1116/2020 दिनांकः23 जून, 2020

विषयः– मनरेगा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं अन्य योजनाओं के मध्य कन्वर्जेन्स के अन्तर्गत सामुदायिक एवं व्यक्तिगत लाभार्थी की भूमि पर बनाये जाने वाले Nutri-Garden में मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

मनरेगा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं अन्य योजनाओं के मध्य कन्वर्जेन्स के अन्तर्गत सामुदायिक एवं व्यक्तिगत लाभार्थी की भूमि पर बनाये जाने वाले Nutri-Garden में मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य कराये जाने के संबंध में निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–L-13060/03/2020-RE-VII,दिनांक 04.05.2020 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र के पैरा–2 में निम्न उल्लेख किया गया है :–

2– Supporting region specific Nutri-Gardens in the State/UTs will help malnourished children by providing year round dietary diversity. **As such the devlopment of Nutri-garden is not a permissible activity under Mahatma Gandhi NREGs.** However **some of the permissible works under Mahatma Gandhi NREGs** may help establish such Nutri-Garden for individuals and communities. They are as follows:

a. Permissible works for individual Nutri-Garden	
1	Leveling/shaping of wasteland/fallow land for individuals.
2	Construction of irrigation open well for individuals.
3	Block plantaion of horticulture trees in field for individuals.
4	Wasteland block plantation of horticulture trees for individuals.
5	Construction of recharge pits for individuals
6	Construction of soak pit for individuals
7	Construction of cattle shelter, goat shelter, piggery shelter and poultry livestock shelter for individuals.
8	Construction of infrastructure for azola cultivation for individuals.
9	Construction of compost pit, vermin-compost structure, NADEP compost structure and Berkeley compost pit for individuals.
b. Permissble works for community Nutri-Garden	
1	Devlopment of fallow land for community.
2	Construction of irrigation open well for community.
3	Boundary line plantaion of horticulture trees for community.
4	Block plantaion of horticulture trees in government building premises for community.
5	Live fencing for the protection of Block Plantations,supported with ditch-cum-bund and for protection of individual plants,tree guards prepared from locally available plant material like Bamboo etc.

Scanned with CamScanner

Permissble works for community Nutri-Garden	
6	Fields block plantation of horticulture trees for community.
7	Raising of nursery for community.
8	Construction of fishery pond for community.
9	Construction of recharge pits for community.
10	Construction of soak pit for community.
11	Construction of cattle shelter, goat shelter, piggery shelter and poultry livestock shelter for community.
12	Construction of infrastructure for azola cultivation for community.
13	Construction of compost pit, vermin-compost structure, NADEP compost structure and Berkeley compost pit for community.

उपरोक्त के साथ ही Nutri-Garden में मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य कार्यों को कराये जाने हेतु महिला एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के लाभार्थियों के चयन में मनरेगा अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधानित पैरा–5 श्रेणी के लाभार्थियों को प्राथमिकता प्रदान किया जाए। इसके साथ ही राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जिनके द्वारा Nutri-Garden का कार्य कराया जा रहा है, उन्हें प्राथमिकता प्रदान किया जाए। Nutri-Garden में मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य कार्यों में ऐसें स्थलों यथा–सरकारी स्कूलों, आवासीय स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायत की भूमि को प्राथमिकता प्रदान की जाए, जिससे गरीब परिवारों, बच्चों, महिलाओं को सीधे लाभ प्राप्त हो सके। Nutri-Garden में मनरेगा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं अन्य योजनाओं का अनिवार्य रूप से कन्वर्जेन्स सुनिश्चित किया जाए , जिससे आवश्यक Vegetables seeds,fingerlings,poultry etc. प्राप्त हो सके तथा इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि योजनान्तर्गत आवर्ती व्यय वाली उपभोग वस्तुओं का योजनान्तर्गत चयन ना किया जाए।

अनुरोध है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा उक्त निर्देशो के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– निदेशक,ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्र दिनांक–04.05.2020।

भवदीय,

23.06.2020

(योगेश कुमार)
अपर आयुक्त,मनरेगा
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक : मनरेगा/पत्रा0सं0– / /2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन को अवलोकनार्थ।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3. निदेशक, उद्यान विभाग,उ0प्र0।
4. निदेशक, पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0।
5. निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।
7. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त(श्रम रोजगार), उ0प्र0।

अपर आयुक्त,मनरेगा
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

Scanned with CamScanner

Permissble works for community Nutri-Garden	
6	Fields block plantation of horticulture trees for community.
7	Raising of nursery for community.
8	Construction of fishery pond for community.
9	Construction of recharge pits for community.
10	Construction of soak pit for community.
11	Construction of cattle shelter, goat shelter, piggery shelter and poultry livestock shelter for community.
12	Construction of infrastructure for azola cultivation for community.
13	Construction of compost pit, vermin-compost structure, NADEP compost structure and Berkeley compost pit for community.

उपरोक्त के साथ ही Nutri-Garden में मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य कार्यो को कराये जाने हेतु महिला एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के लाभार्थियों के चयन में मनरेगा अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधानित पैरा–5 श्रेणी के लाभार्थियों को प्राथमिकता प्रदान किया जाए। इसके साथ ही राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जिनके द्वारा Nutri-Garden का कार्य कराया जा रहा है, उन्हें प्राथमिकता प्रदान किया जाए। Nutri-Garden में मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य कार्यो में ऐसें स्थलों यथा–सरकारी स्कूलों, आवासीय स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायत की भूमि को प्राथमिकता प्रदान की जाए, जिससे गरीब परिवारों, बच्चों, महिलाओं को सीधे लाभ प्राप्त हो सकें। Nutri-Garden में मनरेगा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं अन्य योजनाओं का अनिवार्य रूप से कन्वर्जेन्स सुनिश्चित किया जाए , जिससे आवश्यक Vegetables seeds,fingerlings,poultry etc. प्राप्त हो सके तथा इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि योजनान्तर्गत आवर्ती व्यय वाली उपभोग वस्तुओं का योजनान्तर्गत चयन ना किया जाए।

अनुरोध है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा उक्त निर्देशो के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– निदेशक,ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्र दिनांक–04.05.2020।

भवदीय,

(योगेश कुमार)
अपर आयुक्त,मनरेगा
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक : मनरेगा/पत्रा0सं0– 01 / 1116 /2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन को अवलोकनार्थ।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3. निदेशक, उद्यान विभाग,उ0प्र0।
4. निदेशक, पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0।
5. निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।
7. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त(श्रम रोजगार), उ0प्र0।

अपर आयुक्त,मनरेगा
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
23.05.2020

Scanned with CamScanner

संख्याः 555 /68–5–2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष
जिला शिक्षा परियोजना समिति,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

2. मुख्य विकास अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5,

लखनऊ, दिनांकः 15 जून, 2020

विषयः प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त करने हेतु सम्प्रति गतिमान 'ऑपरेशन कायाकल्प' के अन्तर्गत ग्राम निधि को मनरेगा से युगपत् कर चहारदीवारी तथा खेल के मैदान के विकास और किचेन वाटिका की फेन्सिंग का निर्माण कराया जाना।

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि माननीय मुख्यमन्त्री जी द्वारा जून, 2018 में 'ऑपरेशन कायाकल्प' का शुभारम्भ किया गया, जिसके क्रम में शासनादेश संख्या 2706/33–3–2019, दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 के द्वारा 'ऑपरेशन कायाकल्प' के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की निधियों से परिषदीय विद्यालयों को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त सन्दर्भ में शासनादेश संख्या 292/68–5–2020 दिनांक 29 अप्रैल, 2020 के द्वारा प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त करने और सम्प्रति गतिमान कोविड–19 महामारी के परिणामस्वरूप अन्य प्रदेशों से वापस आये व ग्रामों में प्रवासी श्रमिकों/कामगारों को ग्राम स्तर पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तीव्र गति से कार्य प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2– उल्लेखनीय है कि परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा हेतु जिला खनिज निधि (DMF)का प्रमुखता से उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 2040/68–5–2019, दिनांक 30 जनवरी, 2020 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 226(2)/68–5–2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 के द्वारा 18 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के आकलन/मूल्यांकन के आधार पर विद्यालयों की ग्रेडिंग एवं जनपदों की रैन्किंग सम्बन्धी फ्रेमवर्क के साथ जनपदवार अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तीकरण के विवरण सहित विस्तृत दिशा–निर्देश भी निर्गत किये गये हैं। विद्यालयवार अवस्थापना सुविधाओं के गैप की अद्यतन स्थिति 'प्रेरणा पोर्टल' के 'डैशबोर्ड' पर उपलब्ध है,

Scanned with CamScanner

जिसके आधार पर इन सुविधाओं के समयबद्ध संतृप्तीकरण की रणनीति तैयार कर तद्नुसार उसका क्रियान्वयन आवश्यक है।

3— उक्त संदर्भ में प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा परिषदीय विद्यालयों को 'ऑपरेशन कायाकल्प' के अन्तर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से समयबद्ध रूप से संतृप्त करने के उद्देश्य से उक्त शासनादेश दिनांक 08 जून, 2020 द्वारा चिन्हित 14 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के साथ ही निम्नलिखित सुविधाओं का सृजन ग्राम पंचायत की निधियों को मनरेगा से युगपत कराकर समयबद्ध रूप से किया जायः—

1. चहारदीवारी विहीन परिषदीय विद्यालयों में चहारदीवारी एवं गेट का निर्माण।
2. विद्यालय के प्रांगण में अथवा प्राथमिक विद्यालय अथवा खेल के मैदान हेतु आरक्षित भूमि में खेल के मैदान का विकास।
3. परिषदीय विद्यालयों की किचेन वाटिका की फेन्सिंग।

4— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने और परिषदीय विद्यालयों को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त करने हेतु तीव्रगति से निर्माण कार्य प्रारम्भ कराते हुए उपर्युक्तानुसार विद्यालयों को उक्त सुविधाओं से 30 सितम्बर, 2020 तक संतृप्त कराया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन से अवगत करायें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
6. शिक्षा निदेशक(बेसिक), बेसिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
8. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
9. उप निदेशक, पंचायती राज विभाग, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
10. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
11. जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

Scanned with CamScanner